औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(3) के अन्तर्गत समझौता

संस्था का नाम — मै0 फैशन एक्सप्रैस, प्लाट नं0 100, फेस–1, उद्योग विहार, गुड़गांव

प्रबंधकों की ओर से — श्री गौरव मामिक

श्रमिकों की ओर से — श्री सतबीर सिंह प्रधान फैशन एक्सप्रैस इम्पलाईज यूनियन
श्री सीता राम, महासचिव

समझौते का संक्षिप्त विवरण

संस्था में वित्तीय घाटा होने के कारण प्रबंधकों ने दिनांक 22.9.2007 से तालाबंदी कर दी। श्रमिकों ने इस बात का विरोध किया और उनके अनुसार संस्था में घाटा नहीं हुआ । इस बीच प्रबंधकों ने संस्था बंद करने बारे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25–ओ के तहत प्रार्थना पत्र सरकार के समक्ष दिनांक 30.10.2007 को दिया है । दोनों पक्षों में श्रम विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर समाधान बैठकों का आयोजन किया गया और आज दिनांक 31.10.2007 को संयुक्त श्रम आयुक्त के माध्यम से दोनों पक्षों में समझौतावर्ता आयोजित की गई जिसके उपरांत निम्न समझौता तयः हुआ :–

समझौते की शर्तें

1. यह कि दोनों पक्षों में तयः पाया गया कि प्रबंधक संस्था को बंद करेंगे तथा श्रमिकों को चुकता हिसाब बंदी के आधार पर देंगे और श्रमिक इस संस्था बंदी से सहमत हैं तथा इस आधार पर संस्था बंदी की जाएगी ।
2. यह कि उक्त अनुसार श्रमिकों को संस्था बंद करने की एवज में कानून अनुसार उन्हें उनका वित्तीय अधिकार दिया जाएगा जिसमें तीन महीने की नोटिस अवधि के एवज में वेतन, 15 दिन प्रतिवर्ष के हिसाब से बंदी मुआवजा, पेमैंट आफ ग्रेच्यूटी एक्ट, 1972 के तहत ग्रेच्यूटी की राशी, छुटिटयों के बदले पैसे, वर्ष 2004–05, 2005–06 तथा 2006–07 का बोनस 5000/–रू0 वेतनमान तक के श्रमिकों को दिया जाएगा तथा जिन श्रमिको का वेतनमान 5000/–रू0 से अधिक है उन्हें भी 5000/–रू0 वेतनमान मानते हुए 8.33 की दर से बोनस दिया जाएगा । जिन श्रमिकों को इन वर्षों में से पहले बोनस मिल चुका है, उन्हें उस वर्ष का बोनस नहीं दिया जाएगा । श्रमिकों को 2 वर्ष की 250/–रू0 वार्षिक बढ़ोत्तरी दी जाएगी और यह वार्षिक बढ़ोत्तरी लगने के बाद अंतिम वेतन का हिसाब लगाते हुए उपरोक्त राशियों का हिसाब लगाया जाएगा ।
3. यह कि श्रमिकों की सेवा अवधि का जोड़ लगाते समय श्रमिकों का संस्था में दिहाड़ीदार या अनियमित सेवाअवधि को भी शामिल किया जाएगा जिस बारे सबूत देना श्रमिक का अपना दायित्व होगा ।
4. यह कि श्रमिकों का मास अगस्त, सितंबर व अक्तूबर, 2007 का कमाया हुआ वेतन आज दिनांक 31.10.2007 तक देय होगा ।
5. यह कि तयः पाया गया कि प्रबंधकों द्वारा श्रमिकों को दिवाली के उपलक्ष्य में 5100/–रू0 राशी प्रत्येक श्रमिक को अलग से दी जाएगी।
6. यह कि श्रमिक श्री बलवान सिंह, तथा श्री नंद किशोर के विवादित अवधि के वेतन बारे जो केस श्रम न्यायालय में लंबित हैं, उनका निपटारा भी उस अवधि की राशी देय करने उपरांत निपटाया

31/10/07

Joint Labour Commissioner
HARYANA.

माना जाएगा । जबकि श्रीमती अर्चना दास का पंचाट श्रम न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, के अनुसार उसका जो बैक वेजिज बनता है, देय किया जाएगा और उसके उपरांत उसका केस भी निपटाया माना जाएगा ।

7. इस समझौते के फलस्वरूप श्रमिका श्री बीना देवी द्वारा सैक्सुअल हराश्मैंट का केस जो कि श्री तेजप्रताप सिंह मामिक व श्री गौरव मामिक के विरूद्ध मैजिस्ट्रेट, गुड़गांव के न्यायालय में डाला गया है, वापिस ले लिया जाएगा ।

8. यह कि प्रबंधकों अथवा श्रमिकों ने जो एक–दूसरे के विरूद्ध किसी भी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष कोई मुकद्में आदि दायर किए हैं, को इस समझौते के पश्चात समाप्त माने जाएंगे तथा उन्हें वापिस ले लिये जाएंगे ।

9. यह कि तयः पाया गया कि यदि फैशन एक्सप्रेस नाम से प्रबंधक कोई अन्य उत्पादन की संस्था चलाते हैं तो इस संस्था के श्रमिकों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25–एच अनुसार पुनः कार्य पर लिया जाएगा ।

10. यह कि श्रमिकों के पी0एफ0 से संबंधित फार्म भी प्रबंधक चुकता हिसाब के समय हस्ताक्षर करके देंगे ताकि वह अपना पी0एफ0 आदि निकलवा सकें ।

11. यह कि उपरोक्त वित्तीय अधिकार प्राप्त करने के उपरांत दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद लंबित नहीं रह जाएगा और प्रबंधकों द्वारा जो औद्यागिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25–ओ के तहत आवेदन उपयुक्त प्राधिकारी अर्थात वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग के समक्ष दिया गया है, का भी निपटारा माना जाएगा और वह समझौते अनुसार शर्तें तयः होने पर आवेदन वापिस लिया माना जाएगा। इस समझौते के पश्चात संस्था बंदी से संबंधित कोई विवाद दोनों पक्षों में शेष नहीं रहेगा ।

प्रबंधक प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

GAURAV MAMIK

श्रमिक प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर मेरे सम्मुख करवाए गए ।

31/x/07

(अनुपम मल्लिक)
संयुक्त श्रम आयुक्त

गवाह

1.

2.

3